

राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले के अनुसूचित—जातियों में मध्यपान की समस्या की ऐतिहासिक पृष्ठ—भूमि का समाजशास्त्रीय अध्ययन

सारांश

मध्यपान अथवा मदिरा का व्यसन कोई नई बात नहीं है क्योंकि यह आदिकाल से संसार के प्रत्येक देश या समाज में किसी न किसी रूप में मदिरा पान पाया जाता है। पौराणिक गाथाओं एवं उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह माना जाता है कि मदिरा की उत्पत्ति सुर और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो उसमें से उन्हें चौदह रत्नों की प्राप्ति हुई थी उन चौदह रत्नों में से एक रत्न वारुणि (मदिरा) भी थी। त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक भारतीय समाज में मदिरापान के उदाहरण भारतीय साहित्य में मिलते हैं। इसके पश्चात् आर्यों के आगमन के समय से लेकर मौर्यकाल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्तकाल, मुगलकाल व ब्रिटिश काल से लेकर आज तक भारतीय समाज में मदिरा पान की समस्या से भारतीय समाज ग्रसित है।

मुख्य शब्द : मदिरा, मध्यपान, मध्यपानकर्ता, सोमरस, वारुणि, सुरा, वाइन, ब्राण्डी, रम, गौरी, मदुर, पय—शती, शराब, ताड़ी, दारू।

प्रस्तावना

वर्तमान में, मध्यपान की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में दिन-दोगुनी रात चौगुनी होती जा रही है। पड़ोसी देश शराब की तस्करी कर भारत में पहुँचते हैं और देश के नागरिकों को आदतन शराबी बनाया जाता है। और मध्यपान—कर्ताओं से देश में आतंकवाद व निर्दोष लोगों की हत्याएं कराई जाती हैं। पड़ोसी देशों द्वारा शराब की तस्करी से राष्ट्रीय कोष में घाटा हो रहा है। आज प्रजातान्त्रिक भारत देश में शराब खोरी के प्रतिबन्ध और छूट से लोग सत्ता में आ जाते हैं और सत्ता से लुप्त हो जाते हैं। हमारे देश में खुले आम अधिक नशेबाजी होने के कारण वार्षिक गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ रही है, मध्यपान राजमार्ग की दुर्घटनाओं का प्रमुख कारक है और हजारों की मृत्यु हो जाती है। अवैध शराब बनाने वालों के राजनीतिज्ञों से सम्बन्ध पाये जाते हैं। सामाजिक विचलन और सामाजिक समस्याएं मदिरा के उपयोग और दुरुपयोग से उपजती है। मध्यपान से आय का बड़ा भाग वेश्यावृत्ति, स्त्रीगमन, जुआ, सट्टा, लॉटरी खेलने पर खर्च किया जाता है। वर्तमान समय में मध्यपान से अपराध की दुनिया में वृद्धि हो रही है। अपराध की दुनिया में राजस्थान का भरतपुर जिला काफी अग्रणी है। भरतपुर जिले में घना पक्षी—विहार होने तथा बाँसी (सफेद पत्थर) का उत्पादन होता है, जिसकी वजह से देशी—विदेशी व्यापारी व पर्यटक वर्ग के लोग भरतपुर जिले में आते हैं व्यापारी व पर्यटक लोग होटल व रेस्टोरेन्ट में ठरहते हैं और मध्यपान करते हैं, होटल, रेस्टोरेन्ट, पत्थर की खानों व घना पक्षी विहार में कार्य करने वाले अधिकतर लोग अनुसूचित जातियों के होते हैं, जिन पर व्यापारी व पर्यटक वर्ग के लोगों की मध्यपान की आदत का सीधा प्रभाव पड़ता है। भरतपुर जिले में मध्यपानकर्ताओं की संख्या बढ़ने से अपराधों में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण सामान्य जनता में असन्तोष व्याप्त हो रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. मध्यपान का पौराणिक इतिहास का अध्ययन।
2. मध्यपान का ऐतिहासिक इतिहास का अध्ययन।
3. मध्यपान का वर्तमान इतिहास का अध्ययन।
4. मध्यपान का स्वतन्त्रता के बाद के इतिहास का अध्ययन।

मद्यपान का इतिहास

एक पौराणिक कथा है कि देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उस समुद्र मंथन से चौदह रत्न निकले थे। उन चौदह रत्नों में से 'सुरा' भी एक रत्न थी, देवता बुद्धि से ताकतवर थे और असुर शरीर से। देवताओं ने अपने बुद्धि-कौशल से सुरा दैत्यों को सौंप दी। सुरा सेवन से दैत्य अपनी मानसिक व शारीरिक शक्ति खो बैठे और सत्ता-संघर्ष में देवताओं से हार गये। यानी शराब बुद्धिमान लोगों में शुरू से घृणा की वस्तु रही है।

मद्यपान की पौराणिक पृष्ठभूमि

त्रेता युग में मद्यपान का प्रचलन था क्योंकि रावण ने अपने भाई कुम्भकरण को राम से युद्ध करने के लिए जगाया था तब उसके लिए एक करोड़ मदिरा के मटके मंगवाये थे।

द्वापर युग में यदुवंशियों द्वारा अधिक मदिरा पान किया जाता था तब ये लोग मल्ल-युद्ध किया करते थे। योगीराज कृष्ण जैसे महात्मा भी अपने वर्ग से इस व्यसन को दूर नहीं कर सके और अन्त में मद्यपान ने यदुवंशियों का विनाश कर दिया था।

मद्यपान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतवर्ष में मद्यपान का प्रारम्भ ईसा से 2000 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हो गया था। आर्यों के भारत में आगमन के साथ ही मद्यपान का प्रादुर्भाव भारतवर्ष में हुआ। आर्य लोग विभिन्न प्रकार की मदिरा को बनाना व उसका प्रयोग करना भली प्रकार से जानते थे। चूंकि आर्यों ने भारत में प्रवेश उत्तर-पूर्व से किया था अतः आज भी भारत की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर रहने वाली अनेकानेक जनजातियाँ एवं जातियाँ विभिन्न प्रकार के मादक पेयों को बनाने एवं प्रयोग करने में निपुण हैं। इन जनजातियों में मद्यपान करने एवं कराने का प्रचलन है अथवा हम कह सकते हैं कि सामाजिक परम्परा है। आर्यों के काल में शराब को सोम नाम से जाना जाता था तथा सोमरस का पान अधिकाधिक लोग करते थे तथा सोमरस के पान को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। वैदिक काल में रचित वेदों में बहुत से ऐसे पौधों के नाम को उल्लेखित किया गया है जिनके रस को सोमरस कहा जाता था।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में मद्यपान का प्रारम्भ आर्यों के भारत में आने के साथ ही हुआ। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव के उपरान्त, उसकी शिक्षाओं एवं नियमों का प्रभाव जनमानस पर ऐसा पड़ा कि देश में मद्यपान के प्रचलन में कमी हुई, "बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव के साथ ही मादक पदार्थों के प्रचलन में कमी हुई क्योंकि इस धर्म के अनुयायियों के लिए मद्यपान करना निषेध था।" मौर्य काल में कुछ जातियों को छोड़कर समाज में मदिरापान काफी प्रचलित था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मदिरा के कई प्रकारों का उल्लेख मिलता है। सम्राट अशोक (273 ई0 पूर्व से 232 ई0 पूर्व तक) ने अपने शासनकाल में कलिंग विजय के पश्चात् बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म का प्रभाव अशोक के जीवन पर ऐसा पड़ा कि उसने सम्पूर्ण राज्य में मद्यपान करने एवं मदिरा बनाने पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया था तथा इस नियम के उल्लंघन पर कठोर दण्ड की व्यवस्था

की थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अपने लड़के महेन्द्र तथा लड़की संगमित्रा को विदेशों में भेजा।

गुप्तकाल के समय की जानकारी फाह्यान के वर्णन से गुप्तकाल के भोजन के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त होता है। लोग अधिकतर शाकाहारी थे और गेहूँ चावल, धी, दूध तथा दही आदि का प्रयोग करते थे। फाह्यान ने लिखा है कि लोग मौस, मदिरा, लहसन, तथा प्याज का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन यह कथन समस्त समाज के लिए सही प्रतीत नहीं होता था। साधारणतः उच्च और निम्न वर्ग के लोग मदिरा का सेवन करते थे। उच्च वर्ग में मौस-भक्षण भी होता था। निम्न वर्ग भी मौसाहारी था। 'रघुवंश' में उल्लेख है कि सहभोजों में मदिरा परोसी जाती थी। ब्राह्मण और वैश्य शाकाहारी थे और मदिरा का सेवन भी नहीं करते थे।

राजपूत काल में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मौस, शराब आदि का उपयोग नहीं करते थे। क्षत्रिय तथा वैश्य विशेष अवसरों पर इनका प्रयोग करते थे। गेहूँ चावल, फल आदि भोजन के प्रमुख अंग थे। धनवान लोग बड़े ठाठ-बाठ पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे।

सन् 1310 ई0 में मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने भी कानून बनाकर सम्पूर्ण दिल्ली में मद्य निषेध लागू किया था। मध्यकाल में मुस्लिमों, राजपूत राजाओं एवं शासकों में मद्यपान का पुनः प्रचलन बढ़ा, उस समय राजाओं एवं उनके दरबारियों में मद्यपान सामान्य बात थीं। औरंगजेब ने अवश्य अपने से पूर्व शासकों से हटकर कार्य किया, वह स्वयं भी मद्यपान नहीं करता था तथा अपने शासनकाल (सन्-1658-1707) में अपने सम्पूर्ण साम्राज्य में कानून बनाकर मद्यपान करना एवं कराना निश्चिद्ध कर दिया था साथ ही मद्यपान करने एवं मदिरा बनाने पर कठोर दण्ड की व्यवस्था की थी।

सन् 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात् अंग्रेजों का आगमन भारतवर्ष में बढ़ गया था जिसके साथ ही मद्यपान का प्रचार एवं प्रसार भी बढ़ा। अंग्रेजों का भोजन सम्बन्धी स्वभाव, वातावरण एवं परम्पराओं की विवशता, मनोरंजन हेतु मदिरा का प्रयोग के साथ ही साथ उनकी व्यापारिक प्रवृत्ति के कारण जब उन्होंने यह पाया कि यहां पर इसका प्रचार एवं प्रसार कर इस क्षेत्र में भी व्यापार बढ़ाया जा सकता है तो उन्होंने इसका यहां पर बहुतायत प्रचार एवं प्रसार किया। ईस्ट इंडिया कम्पनी तथा इसके पश्चात् इसके उत्तराधिकारियों द्वारा भारत में आबकारी कर की घोषणा की गई तथा इसके लिए आबकारी अधिनियम सर्वप्रथम सन् 1790 में बनाया गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य थे।

1. राज्य की आय में वृद्धि के लिए साधन जुटाना।
2. अधिक से अधिक कर लगाकर धन संचय करना।

इन्हीं प्रयोजनों को लेकर भारत के प्रत्येक बड़े राज्य में आबकारी विभाग तथा आबकारी पुलिस की स्थापना की गई। अधिकारी आबकारी नियमों का पालन कराते थे तथा आबकारी पुलिस इन अधिकारियों की सहायता करती थी इस समय भारत में शराब उत्पादन का कार्य लघु उद्योग के रूप में होने लगा था, जगह-जगह शराब उत्पादन के कारखाने स्थापित हो गए थे। इन मधुशालाओं के उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार लेवी भी

लेती थी और कर के रूप में आबकारी कर। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता से अधिकाधिक कर प्राप्त करना था अतः शराब के उत्पादन के व्यवसाय एवं उपभोग को प्रोत्साहन दिया गया जिससे शराब का उत्पादन एवं प्रयोग अत्यधिक बढ़ गया था।

‘सन् 1875–76 की तुलना में आयातित हानि रहित पीने योग्य स्प्रिट (Potable Spirit) की तुलना में सन् 1904–05 में मात्रा बढ़कर 7,01,177 गेलन से बढ़कर 12,97,611 गेलन पहुँच गई थी अर्थात् 42.7 प्रतिशत के स्थान पर 85 प्रतिशत स्प्रिट आयात होने लगी थी।

सन् 1905–06 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इण्डियन एक्साइज कमेटी की स्थापना, करों में सुधार एवं उनकी वसूली के उपायों से सम्बन्धित सुझावों को प्रस्तुत करने के लिए की जिसने अपने प्रतिवेदन में लिखा—

1. आयातित शराब के उपभोग में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
2. ताड़ी पर प्रतिबन्ध न लगाना अत्यधिक मद्यपान के लिए उत्तरदायी है।
3. देश में बनी हुई शराब भी देश के कुछ भागों में अधिक मद्यपान के लिए उत्तरदायी है।
4. भारत में बनी शराब कभी—कभी घातक एवं विषेली होती है।’

इतना होते हुए भी यह सत्य है कि मद्यपान का परिचय भारत में अंग्रेजों के द्वारा नहीं कराया गया था बल्कि भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भी मद्यपान का प्रचलन था। अंग्रेजों ने तो अपनी व्यापारिक प्रवृत्ति, चातुर्य एवं कुशल शासक होने के साथ ही साथ भारतीयों की मनोदशा एवं प्रवृत्ति को पहचान कर व्यापारिक दृष्टिकोण से मदिरा का प्रचार एवं प्रसार भारतवर्ष में किया था। अंग्रेजों द्वारा मद्यपान को प्रोत्साहन देने के उपरान्त भी भारतीय समाज में मद्यपानकर्त्ताओं को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसी काल में मदिरा उत्पादन का व्यवसाय व्यवस्थित उद्योग के रूप में सम्पूर्ण भारत में फैला। ब्रिटिश शासन से पूर्व शराब उद्योग को विकसित करने के लिए मद्यपान को कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया और यह दूसरा कारण था जिससे मद्यपान को प्रोत्साहन मिला।

सन् 1912 में श्री गोपालकृष्ण गोखले एक प्रतिनिधि मण्डल लेकर लन्दन गए जिससे वहां सरकार के समक्ष शराब के प्रसार को रोकने का प्रस्ताव किया तथा इस सम्बन्ध में ब्रिटिश शासकों के समक्ष भारत की स्थिति को स्पष्ट किया। इसके पश्चात् डॉ० एनीबेसेन्ट, लोकमान्य तिलक तथा पं० महामाना मदनमोहन मालवीय जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने पूर्ण नशाबन्दी की मांग की और इस सम्बन्ध में चलाए गये आन्दोलन का नेतृत्व किया, राजाजी (श्री युत राजगोपालाचार्य), खान अब्दुल गफकार खाँ तथा गाँधी जी भी इस आन्दोलन में सक्रिय रहे।

सन् 1923 में शराब की दुकानों और ठेकों पर देशभर में धरना प्रारम्भ हुआ। इस आन्दोलन में हजारों पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों ने भाग लिया तथा जेल गए। आन्दोलन के परिणामस्वरूप इस सम्बन्ध में कुछ सफलता प्राप्त हुई। सन् 1924 में गाँधीजी ने यंग इण्डिया में लिखा था— ‘कि सरकार की आय का एक ऐसा तरीका जिसका उद्देश्य आप लोगों के

शारीरिक—मानसिक स्वास्थ्य को बिगड़ कर कमाई करना हो, कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता।’

इस प्रकार चलाए गए जन आन्दोलनों का प्रभाव ब्रिटिश शासन पर हुआ, ब्रिटेन की जनप्रतिनिधि सभा (House of Communes) में इस सम्बन्ध की बहस के उत्तर में तत्कालीन वित्त सदस्य सर बसील ब्लैकेट (Sir Basil Blackkett) ने सन् 1925 में कहा था कि, ‘उच्चतम कर तथा निम्नतम उपयोग की नीति से भारतवर्ष में शराब का प्रयोग कम करने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, आयातित एवं भारत में उत्पादित दोनों प्रकार के मद्य पेयों की मात्रा के उपयोग में अत्यधिक कमी हुई।’

15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की बेड़ियां काट दी थी तथा उसका उदय एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र के रूप में हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय नेताओं एवं शासकों को यह आशा थी कि शराब के प्रयोग में धीरे—धीरे कमी कर पूर्ण नशाबन्दी का लक्ष्य प्राप्त कर पाना संभव हो सकेगा परन्तु परिणाम आशाओं के पूर्णतया विपरीत निकला। सन् 1965–66 में आबकारी कर से आय बढ़कर 90 करोड़ रुपया हो गई। सन् 1968 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डॉ० सुशीला नैय्यर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसके अन्तर्गत गाँधी जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में पूर्ण नशाबन्दी का लक्ष्य रखा गया था, परन्तु गाँधी के देशवासियों ने वर्ष 1969–70 में 723 करोड़ रुपये की शराब पी डाली। सन् 1971–72 में यह धनराशि बढ़कर 1000 करोड़ रुपये तक जा पहुँची और राजस्थान में भी पूर्ण नशाबन्दी लागू की गयी थी, लेकिन सरकार को इसमें सफलता नहीं मिली इसलिये नशाबन्दी अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री (बंशीलाल) ने हरियाणा में पूर्ण नशाबन्दी 1 जुलाई 1997 को लागू कर दी गयी थी। लेकिन उसके परिणामस्वरूप तस्करी व नई वारदातें बढ़ने लगी थीं। इन सबको देखते हुए 1 अप्रैल 1998 को नशाबन्दी समाप्त कर दी गयी थी, और आज यह रोग महामारी से भी भयंकर रूप में फैलता जा रहा है।

2000 के दशक के बाद अभी हाल में ही कई राज्यों ने शराब पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। लेकिन उन राज्यों में दूसरे राज्यों से तस्करी के द्वारा शराब का वितरण किया जाता है। जिससे देश में लगभग दस हजार लाख लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष हो रही हैं, जो देश और समाज के लिए शोचनीय विषय है। आज भारत सरकार और राज्य सरकारों का ध्येय केवल एक ही है कि आबकारी (शराब) नीति के अन्तर्गत राजस्व कमाना है इसलिये राजस्थान सरकार ने वर्तमान में शराब की दुकानों को लाइसेंस जारी करके, सड़कों के किनारे व सार्वजनिक स्थानों पर खोलने के लिए जनता को प्रेरित कर लाभ कमाना चाहती है। आज सरकारों का समाज कल्याण और जन कल्याण की योजनाओं से कोई सरोकार नहीं है। उसी का परिणाम है कि भरतपुर जिले की जनता भी उसी मद्यपान की समस्या से ग्रस्त होती जा रही है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष: कहा जा सकता है कि अधिकांश मद्यपानकर्ता निम्न सामाजिक—आर्थिक प्रस्थिति से सम्बन्धित थे। मद्यपान के कारणों में प्रमुखतः विघटित

परिवार, गन्दी बस्ती, गरीबी, ऋण—ग्रस्तता, होटल, रेस्ट्राओं व पत्थरों की खाने प्रमुख हैं। अधिकांश मध्यपानकर्ताओं के अपने परिवार के सदस्यों के साथ तथा अन्य लोगों के साथ सम्बन्ध तनाब पूर्ण होते हैं साथ ही श्रमिक वर्ग से ही सम्बंधित होते हैं तथा अस्वरुप सामाजिक वातावरण इनमें चार चांद लगा देता है।

सन्दर्भ—ग्रन्थ—सूची

1. हिन्दुस्तान टाइम्स, नवम्बर 10, 1992, प्रकाशन, दिल्ली. P.12.
2. अमर उजाला, फरवरी 9, 1998, प्रकाशन, आगरा. P.14.
3. राजस्थान पत्रिका सितम्बर 21, 1998, प्रकाशन, जयपुर. P.16.
4. हरिचन्द्र वर्मा, (1996), मध्यकालीन भारत, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली, विश्वविद्यालय, दिल्ली P.444.
5. तोमर आर. बी. एम (1989), सामाजिक अनुसंधान (सांख्यिकी संहिता), श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा. P.265.
6. शर्मा, आर. एन. एवं शर्मा, आर. के. 'सामाजिक विघटन' अटलाइटिक पब्लिसर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली. P.315.
7. डा. राम अहूजा (2000), आधुनिक भारत में सामाजिक समस्याएँ रावत पब्लिकेशन, जयपुर. P.367.
8. बघेल, डी. एस. (1995), अपराधशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली. P.490.
9. परांजपे, एन. वी. (1984), सामाजिक अपराधिकी, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
10. शर्मा, वी. पी. (2005), समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएँ पंचशील प्रकाशन, जयपुर. P.207.
11. Gandhi, M.K Harijan, 12, 1934.
12. Report of the Prohibition Enquiry Committee. Govt. of India. 1959. P.4.
13. Report of the Prohibition Enquiry Committee. Govt. of India. 1954-55.P.5.
14. Report of the Prohibition Enquiry Committee. Govt. of India. 1954. P.2.
15. Gandhi M.K. (1952), Drink, Drug and Gambling, Navjivan Path House, Ahmadabad.